"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2005—कार्तिक 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8246/21-अ/प्रारुपण/05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 4 सन् 2005) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 4 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (एक) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक सन् 2005) है.

(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) का अस्थाई संशोधन किया जाना.

2\. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) निम्नलिखित विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुये प्रभावी होगा.

धारा 13 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 13 में अंक "45" के पश्चात् शब्द और अंक "45-क, 45-ख, 45-ग, 45-गग" अंत: स्थापित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

क्रमांक 8246/21-अ/प्रारुपण/05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 4 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 4 of 2005)

CHHATTISGARH STHANIYA KSHETRA ME MAL KE PRAVESH PAR KAR (AMENDMENT) ORDINANCE, 2005

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976).

Promulgated by the Governor in the fifty-sixth year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgated the following Ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (i) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar (Amendment) Ordinance, 2005 (No. of 2005).

   (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this ordinance the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the following specified amendments.

Amendment of Section 13.

3. In section 13 of the Principal Act, after the figure "45" the words and figures "45-A, 45-B, 45-C, 45-CC" shall be inserted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.